निर्वाचन की पद्वति

1. महाविद्यालय में छात्रसंघ पदाधिकारियों तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होगाा।
2. छात्र चुनाव और छात्र प्रतिनिधि राजनैतिक दलों से पृथक रहेंगे।
3. निर्वाचन के समय कोई भी व्यक्ति जो महाविद्यालय का छात्र नहीं है, उसे किसी भी दशा में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि कोई छात्र इस नियम का उल्लंघन करता है तो सम्बन्धित प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द करने के अतिरिक्त उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. छात्रसंघ निर्वाचन में सहभागिता के लिए प्रत्येक छात्र/छात्रा प्रत्याशी अथवा प्रस्तावक एंव अनुमोदन के लिए महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्यथा उसके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।
5. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है या विवाद उत्पन्न होता है और इस सम्बन्ध में यदि विधिवत शिकायत प्राप्त होती है तो संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित निर्वाचिन समिति/छात्रसंघ प्रभारी, जैसी भी स्थिति हो, उस पर विचार कर अपना निर्णय देगी। लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रत्याशी को इस निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद करने का अधिकार नहीं होगा।
6. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अर्थात नामांकन दाखिल करने के पश्चात और परिणामों की घोषणा से पूर्व किसी प्रत्याशी की असामायिक मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित नहीं की जाएगी। मृतक को सम्बन्धित पद में सर्वाधिक मत प्राप्त हो जाने पर उसें निर्वाचित घोषित न कर उसके निकटतम प्रतिद्वन्द्वी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
7. अनुच्छेद 19 (व) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए छात्रसंघ के गठन के पश्चात और शैक्षिक सत्रान्त से पूर्व किसी पदाधिकारी की असामायिक मृत्यु होने अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा संस्था छोड़ देने अथवा किसी पदाधिकारी के पदच्युत हो जाने के कारण यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो उस पद हेतु पुनः निर्वाचन नहीं किया जाएगा, वरन् पद सत्रान्त तक रिक्त रहेगा।

नामांकन दाखिल कराना और नाम वापसी

1. नामांकन निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र (परि0–01) में निर्धारित तिथि और समय तक ही स्वीकार किया जाएगाा।
2. नामांकन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण करना आवश्यक होगा। अर्पूण नामांकन प्रपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
3. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर प्रत्याशी द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना अनिवार्य होगा।
4. नामांकन प्रपत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण पत्र और स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण तक सभी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा।
5. प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक–एक प्रस्ताव और एक–एक अनुमोदक होगा जो उसी संस्था का संस्थागत छात्र/छात्रा होगा।
6. संकाय प्रतिनिधि हेतु प्रस्तावक और एक–एक अनुमोदक उसी संकाय का छात्र/छात्रा होना आवश्यक है।
7. किसी एक प्रत्याशी का प्रस्तावक/अनुमोदक उसी पद हेतु अन्य किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक/अनुमोदक नही हो सकता।
8. सक्षम समिति/अधिकारी के सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी, उसके प्रस्तावक/अनुमोदक को स्वयं उपस्थित होकर नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान में हस्ताक्षर करनें होंगे।
9. नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी, प्रस्तावक/अनुमोदक द्वारा संस्था का वर्तमान शिक्षा सत्र का परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।
10. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पद हेतु नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा।
11. किसी पद के लिए केवल एक नामांकन पत्र के वैध होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।
12. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थानों पर प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक का वही नाम अंकित होना चाहिए जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार सम्बन्धित संस्था में दर्ज किया गया हो। कोई भी उपनाम मान्य नहीं होगा। नाम/नामों में भिन्नता होने अथवा उपनाम लिखे होने की स्थिति में नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।
13. प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करते समय निर्धारित पारूप (परि0 –02) में नामांकन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छात्रसंघ संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा/करेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उसे छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा और उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। शपथ पत्र 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर ओथ कमिश्नर या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चााहिए।

मतदान प्रक्रिया

1 नामांकन वापसी के पश्चात वैध प्रत्याशियों हेतु ही मतदान कराया जाएगा।
2 मतदान एक पद एक मत के आधार पर कराया जाएगा।
3 मतदान हेतु गुप्त मतदान पद्धति अपनायी जाएगी।
4 संस्था में मतदाताओं की संख्या के आधार पर एक अथवा अधिक मतदान केन्द्र बनाए जा सकते हैं।
5 प्रत्येक मतदान स्थल पर मतदान करवाने हेतु संस्थाध्यक्ष द्वारा समिति गठित की जाएगी। जो निर्वाचन हेतु चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराएगी।
6 अध्यक्ष, दोनो उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव तथा कोषाध्यक्ष हेतु महाविद्यालय के समस्त मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। इसी तरह विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (कक्षा प्रतिनिधि) हेतु मतदान कराया जाएगा।
7 मतपत्र पर क्रमांक मुद्रित किया जाएगा।
8 मतदाता को मतपत्र निर्गत करने से पूर्व मतपत्र प्रतिपर्ण मे मतदाता के हस्ताक्षर कराये जायेंगे और मतपत्र के पूर्ण होने पर मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें।
9 यदि प्रत्याशी चाहे तो मतदान स्थल पर स्वंय उपस्थित रह सकता है लेकिन उसकी उपस्थिति के दौरान प्रत्याशी का अभिकर्ता मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं रहेगा।
10 मतदान स्थल पर उपस्थित प्रत्याशी को मतदान पूर्व मतपेटी खाली होने और उनके सम्मुख मतपेटी सील बन्द करने सम्बन्धी घोषणा पत्र में यदि चाहे तो (परि0 –4) हस्ताक्षर कर सकते हैं और इसी प्रकार मतदान समाप्ति पर उनके सम्मुख मतपेटी बन्द करने सम्बन्धी घोषणा पत्र (परि0 –5) पर यदि चाहे तो हस्ताक्षर कर सकते हैं।
11 यदि मतदान प्रारम्भ होने से 05 मिनट पूर्व तक कोई भी प्रत्याशी मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो मतदान अधिकारी मतपेटी सील बन्द कर निर्धारित समय में मतदान प्रारम्भ करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
12 मतदाता द्वारा संस्था का वर्तमान सत्र का परिचय पत्र सम्बन्धित मतदान स्थल के अधिकारियों को दिखाने पर ही उसे मतदान का अधिकार दिया जाएगा।
13 संस्था के निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रास चिन्ह (ग) वाले मुहर द्वारा ही मतदान किया जाएगा।
14 प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा मतदान स्थल के भीतर तथा परिसर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा, अन्यथा इसे निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
15 मतदान समाप्ति के बाद मतदान अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (परि0–6) में मतपत्र लेखा तैयार कर मतपेटी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हस्तगत करना होगा।
16 मतदान के पश्चात किसी हिंसक वारदात अथवा अन्य किसी कारण से मतदान में व्यवधान होने पर निर्वाचन समिति की संस्तुति पर संरक्षक द्वारा मतदान स्थगित किया जा सकता है। स्थगन सम्पूर्ण शिक्षा सत्र के लिए भी हो सकता है, स्थगन की अवधि व्यवधान उत्पन्न होने के कारणों की प्रकृति और संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी।
17 मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु संस्थाध्यक्ष उपरोक्त विन्दुओं के अतिरिक्त अन्य नियम भी निर्गत कर सकते हैं।

प्राचार्य / संरक्षक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
प्रभारी छात्रसंघ

मतगणना प्रक्रिया

1. मतदाताओं की संस्था के आधार पर एक से अधिक मतगणना केन्द्र बनाए जा सकते हैं।
2. निर्वाचन समिति अथवा अधिकारी की देखरेख में निर्धारित समयानुसार मतगणना कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
3. प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी का अभिकर्ता मतगणना केंन्द्र पर मतगणना हेतु उपस्थित रह सकते हैं, अभिकर्ता नियुक्ति प्रपत्र (परि0–7) मतगणना अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने पर ही अभिकर्ता को मतगणना केन्द्र पर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।
4. कोई भी मतगणना अभिकर्ता मतगणना समाप्ति से पूर्व मतगणना स्थल नहीं छोड़गा।
5. मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्याशी/अभिकर्ता द्वारा मतपेटी के सील बन्द होने की निर्धारित घोषणा पत्र (परि0–8) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे। इसी प्रकार मतगणना परिणामों को स्वीकार करने के निर्धारित घोषणा पत्र (परि0–9) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होगें। मतगणना समाप्ति के पश्चात मतगणना अधिकारियों द्वारा भी मतगणना अधिकारियों द्वारा भी मतगणना अधिकारियों द्वारा भी मतगणना सीट पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
6. मतगणना 50–50 अथवा 100–100 मतपत्र के बंडल बनाकर की जाएगी। प्रत्येक बंडल की गणना के बाद उपस्थित अभिकर्ता अपनी गणना का मूल्यांकन मतगणना अधिकारियों की गणना से करेंगे। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उस बंडल की उसी समय पुनः मतगणना कर ली जाएगी।
7. मतगणना अधिकारियों की मतगणना अन्तिम मानी जाएगी और मतगणना के आधार पर संस्थाध्यक्ष अथवा निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी।
8. उपलब्ध करायी गयी मुहर के चिन्ह के अतिरिक्त मतदाता द्वारा मतपत्र पर कोई अन्य चिन्ह या स्याही अथवा पैन का प्रयोग किये जाने पर मतपत्र अवैध माना जाएगा।
9. यदि एक मतपत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो अथवा उस पर कुछ लिखा गया हो तो मतपत्र अवैध माना जाएगा।
10. यदि एक मतपत्र में एक से अधिक पदों हेतु मतदान कराया गया हो और उनमें एक या कुछ प्रत्याशियों के सम्मुख कोई निशान बनाया गया हो तो उस पद/पदों हेतु मत अवैध होगा। किन्तु अन्य पदों हेतु मत वैध माना जाएगा।
11. क्रास चिह्न किसी पद के दो प्रत्याशियों के सम्मुख होने की स्थिति में मत की गिनती उस प्रत्याशी के मत में की जाएगी जिस प्रत्याशी के खाने में क्रास चिन्ह का कटान बिन्दु स्थित होगा। कटान बिन्दु दो प्रत्याशियों के मध्य स्थित लाईन के ठीक ऊपर होने पर उस पद हेतु मत अवैध होगा।
12. किसी पद के एक या अधिक प्रत्याशी को बराबर मतपत्र प्राप्त होने की स्थिति में लाटरी द्वारा परीणाम की घोषणा की जाएगी। बराबर मत प्राप्त होने वाले प्रत्याशियों के नामों की पर्चियों में से संस्थाध्यक्ष द्वारा एक पर्ची उठायी जाएगी और जिस प्रत्याशी के नाम की पर्ची उठेगी उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
13. यदि किसी पद हेतु निर्वाचित प्रत्याशी और उसके निकटतम प्रतिद्वन्द्वी के बीच अधिकतम 03 मतों का अन्तर है अर्थात हार जीत का अन्तर अधिकतम 03 मतों का होने पर (हारने वाला प्रत्याशी) यदि चाहे तो परिणाम की घोषणा के 30 मिनट के भीतर रू0 500 मात्र की धनराशि जो कि किसी भी दशा में लौटायी नहीं जाएगी। के साथ पुनर्मतगणना हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। पुनर्मतगणना का परिणाम अन्तिम और सर्वमान्य होगा। तत्पश्चात कोई मतगणना नहीं की जाएगी।
14. मतगणना के पश्चात सभी मतपत्र छात्रसंघ प्रभारी की निगरानी में रखे जाएगें और एक सप्ताह बाद संस्थाध्यक्ष की अनुमति लेकर हेतु गठित स्थाई समिति द्वारा नष्ट कर दिए जाएगें। कोई विवाद लम्बित होने की स्थिति में विवाद के निपटारे के एक सप्ताह बाद मतपत्र नष्ट कर दिए जाएंगे। इसकी सूचना मतदान समिति द्वारा संस्थाध्यक्ष को विहित प्रारूप (परि0–11) में सूचित करेगी।
15. छात्रसंघ चुनाव सम्बन्धी दस्तावेजों के विनष्टीकरण के लिए एक स्थाई समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्रसंघ प्रभारी–समन्वयक और मुख्य अनुशासक तथा प्राचार्य द्वारा नामित सदस्य होंगे।

प्राचार्य /संरक्षक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
प्रभारी छात्रसंघ

कार्यालयः प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बनबसा (चम्पावत)

छात्रसंघ निर्वाचन 202 –202 दिनांक : / /202

छात्रसंघ पदाधिकारी

महाविद्यालय में प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे–

1 अध्यक्ष –एक पद
2 उपाध्यक्ष –दो पद (एक पद उपाध्यक्ष–छात्र तथा दूसरा उपाध्यक्ष–छात्रा)
3 सचिव –एक पद
4 संयुक्त सचिव –एक पद
5 कोषाध्यक्ष –एक पद
6 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि –एक पद
7 सांस्कृतिक सचिव–एक पद

पदाधिकारियों की पात्रता एंव अर्हता

(अ) सामान्य पात्रता

1. स्नातक स्तर के छात्र/छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए।
2. आयु की गणना के लिए मानक तिथि 01 जुलाई होगी।
3. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी/विद्यार्थी के किसी भी दशा में वर्ष में शैक्षणिक अवशेष* नहीं होनी चाहिए।

*स्पष्टीकरण :–किसी भी शैक्षणिक सत्र/समेस्टर में बैक पेपर नहीं होने हैं।

4. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी चाहिए।
5. प्रत्याशी के पास पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने का मात्र एक अवसर है।

*स्पष्टीकरण :– अर्थात प्रत्याशी छात्रसंघ पदाधिकारियों में से कुल 07 पदों में से केवल एक ही पद के लिए तथा एक ही बार चुनाव लड़ सकेगें।

6. प्रत्याशी का पूर्व का कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को महाविद्यालय का नियमित एंव पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।

(ब) पदाधिकारियों की विशिष्ट पात्रता/अर्हता

सामान्य पात्रता (अ) के अतिरिक्त प्रत्येक पद हेतु प्रत्याशियों की निम्नलिखित विशिष्ट पात्रता का होना भी आवश्यक है –

1. अध्यक्ष –

*इस पद हेतु प्रत्याशी स्नातक तृतीय वर्ष में अध्ययनरत नियमित संस्थागत छात्र/छात्रा होना/होनी चाहिए।

*प्रत्याशी महाविद्यालय का गतवर्ष नियमित संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।

2. उपाध्यक्ष– उपाध्यक्ष के दो पद होगें –

1.उपाध्यक्ष– छात्र
2.उपाध्यक्ष– छात्रा

*प्रत्याशी स्नातक द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में अध्ययन रत नियमित संस्थाग छात्र/छात्रा होना/होनी चाहिए।

*प्रत्याशी गतवर्ष महाविद्यालय में नियमित संस्थागत छात्र/छात्रा होना/होनी चाहिए।

3. सचिव –प्रत्याशी स्नातक द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में अध्ययनरत नियमित संस्थागत छात्र/छात्रा होना/होनी चाहिए। प्रत्याशी स्नातक गत शैक्षणिक सत्र में संस्थागत छात्र/छात्रा रहा/रही हो।
4. संयुक्त सचिव– स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा इस पद के लिए प्रत्याशी हो सकता/सकती है।
5. कोषाध्यक्ष – महाविद्यालय का कोई भी संस्थागत छात्र/छात्रा इस पद हेतु प्रत्याशी हो सकता है।
6. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि –इस पद हेतू प्रत्याशी स्नातक तृतीय वर्ष में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्रा होना/होनी चाहिए।
7. सांस्कृतिक सचिव– इस पद हेतु प्रत्याशी स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में अध्ययनरत पूर्व में उसी संस्था की संस्थागत छात्र/छात्रा होना/होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भागीदारी करने का प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।

प्राचार्य/संरक्षक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
प्रभारी छात्रसंघ

परिशिष्ट –1

संस्था का नाम –राजकीय महाविद्यालय बनबसा

छात्रसंघ निर्वाचन 2022–23

नामांकन प्रपत्र

प्रत्याशी का नवीनतम
पासपोर्ट साइज
फोटोग्राफ

नोट–स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशी के प्रस्तावक तथा अनुमोदक अपनी कक्षा के साथ विषय भी लिखें।

प्रस्ताव

मैं छात्रसंघ के पद हेतु श्री/कु0
कक्षा विषय का नाम प्रस्तावित करती/करता हूं।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर–
प्रस्तावक का नाम–
पिता का नाम–
कक्षा व विषय– /

अनुमोदन

मैं उपर्युक्त प्रस्ताव का सर्मथन करता/करती हूॅ।

अनुमोदक के हस्ताक्षर–
अनुमोदक का नाम–
पिता का नाम–
कक्षा व विषय–

प्रत्याशी की सहमति

मुझे छात्रसंघ के – पद का प्रत्याशी होने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज दिनांक – को – बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में अपना नामांकन प्रस्तुत करता/करती हूॅ। शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करें)

प्रत्याशी के हस्ताक्षर–

प्रत्याशी का विवरण

स्नातक भाग एक उत्तीर्ण वर्ष–
प्रत्याशी का नाम–
स्नातक भाग दो उत्तीर्ण वर्ष–
कक्षा विषय सहित–
स्नातक भाग तीन उत्तीर्ण वर्ष–
पिता का नाम–
स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध उत्तीर्ण वर्ष–
संस्था में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि–
प्रत्याशी की जन्म तिथि – (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

प्रत्याशी की घोषणा

मैं – जो कि– पद का प्रत्याशी हूँ एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं संस्था के समस्त नियमों का पालन करूँगा/करूँगी। किसी भी बाह्य व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए अपने साथ संस्था में नहीं लाऊँगा/लाऊँगी और संस्था में शांति बनाये रखने में सहयोग दूंगा/दूंगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे विरूद्ध वर्तमान में न्यायालय में आपराधिक वाद नहीं है/अमुक वाद चल रहा है। मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की गई है और न ही लम्बित है तथा किसी भी प्रकार का दण्ड आरोपित नहीं किया गया है तथा मेरा कोई भी प्रश्नपत्र/बिषय किसी शैक्षणिक सत्र/समेस्टर का उत्तीर्ण करना अवशेष नहीं है। मेरे द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान परिसर/महाविद्यालय के भवनों को लिखकर गन्दा नहीं किया जायेगा तथा शहर के निजी एंव सामुदायिक भवनों को लिखकर खराब नहीं किया जायेगा।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अधिकारियों के हस्ताक्षर जिनके सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। नामांकन प्रपत्र जमा करने का समय – दिनांक– 1– 2– 3– 4–	जांच के उपरांत नामांकन प्रपत्र वैध पाया गया। समय – दिनांक– जांच अधिकारियों के हस्ताक्षर 1– 2– 3– 4–

परिशिष्ट –2

नामांकन तथा आवश्यक अनिवार्यताओं का शपथ पत्र का प्रारूप

मैं– पुत्र/पुत्री श्री– कक्षा– निवासी–
ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ लेता/लेती हूँ

1. कि मेरा नाम– है।
2. कि मैं– राजकीय महाविद्यालय बनबसा में कक्षा– का/की नियमित संस्थागत छात्र/छात्रा हूँ। मेरी उपस्थिति वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि से अब तक 75 प्रतिशत रही है और गत सत्र में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति रही है तथा सम्बन्धित सत्र में भविष्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने का वचन देता/देती हूँ।
3. कि मैं शिक्षासत्र– के राजकीय महाविद्यालय बनबसा के छात्रसंघ के– पद हेतु नामांकन दाखिल कर रहा/रही हूँ।
4. कि मैं संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन करूँगा/करूँगी। आचार संहिता का उल्लंघन करते पाये जाने पर– पद हेतु मेरा नामांकन अथवा मेरा निर्वाचन जैसी भी स्थिति हो, निरस्त कर दिया जाये।
5. कि मैं संविधान में उल्लिखित निर्वाचन सम्बन्धी खर्चे तथा जवाबदेही का पूर्ण अनुपालन करूँगा/करूँगी तथा चुनाव घोषित होने के 2 सप्ताह उपरान्त परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय को चुनाव आय–व्यय का लेखा प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
6. कि नामांकन प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनायें सत्य हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।
7. कि मेरा पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, मेरा कभी कोई विचारण नहीं हुआ है और/अथवा किसी आपराधिक अपराध में दोष सिद्ध नहीं हुआ हूँ अथवा आपराधी नहीं रहा हूँ। मेरे विरूद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नहीं की गयी है।
8. कि मैं विगत वर्ष अनुत्तीर्ण नहीं हुआ/हुई हूँ।

ओथ कमिश्नर अथवा नोटरी के
हस्ताक्षर तथा मोहर

प्रत्याशी के हस्ताक्षर
दिनांक :

मैं उपरोक्त प्रस्तर 1,2,7 और 8 को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सत्य होना घोषित करता/करती हूँ तथा प्रस्तर 3,4,5 और 6 को व्यक्तिगत ज्ञान तथा दस्तावेजो के आधार पर सत्य होना घोषित करता/करती हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर
दिनाक

परिशिष्ट –3

संस्था का नाम – राजकीय महाविद्यालय बनबसा (पिथौरागढ़)

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 202 – 202

नामांकन वापसी का प्रपत्र

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री..कक्षा..........................ने दिनांक..............................को पद हेतु नामांकन प्रपत्र दाखिल किया था। आज दिनांक ....को ....बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में अपनी इच्छा से अपना नामांकन वापस लेता/लेती हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर–

प्रत्याशी के नाम–

दिनांक–

साक्षियों के हस्ताक्षर, नाम तथा कक्षा –

(परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है)

1–

2–

3–

परिशिष्ट –4

मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि मतपेटी सीलबन्द करने से पूर्व खाली थी। मतपेटी हमारे सम्मुख सील बन्द की गई। हम मतदान प्रारम्भ होने की प्रक्रिया से सहमत एंव सन्तुष्ट हैं।

	प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम	कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.	....	....	....	....
2.	....	....	....	....
3.	....	....	....	....
4.	....	....	....	....
5.	....	....	....	....
6.	....	....	....	....
7.	....	....	....	....
8.	....	....	....	....

परिशिष्ट–05

मतदान समाप्ति के बाद अभिकर्ताओं द्वारा घोषणा–

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदान प्रक्रिया से सन्तुष्ट हैं। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटी हमारे सम्मुख सील बन्द की गयी। मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।

	प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम	कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.	....	....	....	....
2.	....	....	....	....
3.	....	....	....	....
4.	....	....	....	....
5.	....	....	....	....
6.	....	....	....	....
7.	....	....	....	....
8.	....	....	....	....

परिशिष्ट –06
मतपत्र लेखा
मतदान केन्द्र संख्या –

1.प्राप्त मतपत्रों की संख्या ....क्रम संख्या .... से ....तक कुल प्राप्त मतपत्र ....

2. प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या ....क्रम संख्या ....से...................तक कुल प्रयुक्त मतपत्र....................................

3. शेष मतपत्र (1–2)

4. रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या ....

हस्ताक्षर मतदान अधिकारी

परिशिष्ट –07
संस्था का नाम – राजकीय महाविद्यालय बनबसा (चम्पाावत़)
मतगणना अभिकर्ता नियुक्ति पत्र

नोट :– किसी मतगणना केन्द्र पर एक प्रत्याशी का केवल एक मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रह सकता/ सकती है।

(यह नियुक्ति पत्र, मतगणना केन्द्र पर मतगणना अधिकारी को दिया जाये)

मैं ....जो वर्ष......................................के छात्रसंघ के निर्वाचन हेतु ....पद का प्रत्याशी हूँ, एतद्द्वारा श्री...
...पुत्र/पुत्री...कक्षा..........................को मतगणना केन्द्र ....
....पर अपना प्रतिनिधित्व करने हेतु मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

मैं श्री ....के मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

मतगणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर ....

मतगणना अभिकर्ता का नाम व कक्षा ....

पिता का नाम ....

दिनांक...`

परिशिष्ट–8

मतगणना टेबल संख्या ------------------

मतगणना से पूर्व अभिकर्ताओ द्वारा की गयी घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि मतगणना कार्य के सुचारू संचालन में हुई अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं करेगें और मतगणना केन्द्र पर शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखेगें । निर्वाचन परिणामों की घोषणा होने के बाद ही मतगणना केन्द्र का परित्याग करेंगे । हम यह भी घोषणा करते हैं कि मतगणना के दौरान उठने वाले सभी विवादों पर नियुक्त समिति के निर्णयों को स्वीकार करेंगे मतगणनाके लिये मतपेटी खुलने से पूर्व सील बन्द थी ।

	प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम	कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.	....	....	....	....
2.	....	....	....	....
3.	....	....	....	....
4.	....	....	....	....
5.	....	....	....	....
6.	....	....	....	....
7.	....	....	....	....
8.	....	....	....	....

परिशिष्ट–09

मतगणना के पश्चात अभिकर्ताओं द्वारा की गयी घोषणा

हम घोषणा करतें हैं कि मतपेटी खुलने से पूर्व सील बन्द थी और हमारे सम्मुख खोली गयी है। हम मतगणना से सन्तुष्ट हैं और मतगणना परिणामों को स्वीकार करते हैं।

	प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम	कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.	....	....	....	....
2.	....	....	....	....
3.	....	....	....	....
4.	....	....	....	....
5.	....	....	....	....
6.	....	....	....	....
7.	....	....	....	....
8.	....	....	....	....

परिशिष्ट–10

निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप

मैं ....पूत्र/पूत्री श्री .... शपथ लेता/लेती हूँ कि राजकीय महाविद्यालय बनबसा के शिक्षा सत्र ....के छात्रसंघ के ....पद के दायित्वों का सत्य निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूँगा/करूँगी। ऐसा कोई आचरण करूँगा/करूँगी जो संस्था की गरिमा के विरूद्ध हो। मैं यह भी शपथ लेता/लेती हूँ कि छात्रसंघ संविधान में वर्णित सभी नियमों का पूर्णरूपेण पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

पद

परिशिष्ट –11

छात्रसंघ चुनाव दस्तावेजों के विनष्टीकरण की सूचना का प्रारूप

छात्रसंध संविधान के अनुच्छेद 12(14) तथा (15) में उल्लेखित उपबन्ध के अनुसार छात्रसंघ चुनाव वर्ष (202 –202) सम्बन्धी निम्नलिखित दस्तावेजों को आज दिनांक ... .को हमारे सम्मुख विनष्ट किया गया।

क्रम सं0	नाम दस्तावेज	संख्या
1.	प्रयोग में लाये गये मतपत्र	
2.	प्रतिपर्ण	
3.	प्रयोग में न लाये गये अवशेष मतपत्र	
4.	चिन्हित मतदाता सूची	

सदस्य छात्रसंघ चुनाव दस्तावेज–

हस्ताक्षर : विनष्टीकरण समिति

1.
2.
3..

समन्वयक, छात्रसंघ चुनाव, दस्तावेज समिति